न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 135/2011
GCMS NO. : 2011/00244

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. जीयाराम पुत्र धनाराम जाति– सीरवी, निवासी– खेड़ादेवगढ़ बेरा निम्बड़िया, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, (राज0)

1. बगदाराराम पुत्र धनाराम
2. सुशीला पत्नि जीयाराम
3. दुर्गाराम पुत्र धनाराम
4. झुमकुड़ी बेवा धनाराम जातियान– सीरवीख निवासी– खेड़ादेवगढ़ बेरा निम्बड़िया, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राज0)
5. तहसील जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.30/06/2011**

उपस्थितः– 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता वादी ।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 20/04/2022**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा– खेड़ा देवगढ़, पटवार हल्का– निमाज– चक– द्वितीय, तहसील– जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1790/2 रकबा 9 बीघा 03 बीघा किस्म चाही सोयम की आई हुई हैं। उक्त कृषि भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 1/4–1/4 हिस्सा हैं। सरहद मौजा– खेड़ा देवगढ़, पटवार हल्का– निमाज – चक– द्वितीय, तहसील– जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4 की शामलाती एवं खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1782/1 रकबा 5–16 बीघा, 1783/2/4 रकबा 2–16 बीघा, खसरा नम्बर 1787/2 रकबा 2–09 बीघा, खसरा नम्बर 1792/1 रकबा 3–01 बीघा कुल खसरा–4 कुल रकबा 14–[illegible] बीघा [illegible] की आई हुई हैं। उक्त कृषि भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा व प्रतिव[illegible] 1, 3 व 4 का 1/4–1/4–1/4 हिस्सा हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2063 [illegible] 2066 तथा नक्शा ट्रेस पेश किया है, जो वाद पत्र का एक भाग [illegible] वर्णित कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती खातेदारी भूमि दर्ज हैं। जिनका [illegible]नून बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। उक्त कृषि भूमि शामलाती खातेदारी में दर्ज होने से वादी अपने हिस्से की कृषि भूमि में खाद बीज डालने हेतु बैंक से ऋण लेने में परेशानी होती हैं। अलग से अपने हिस्से में कुआ खुदवाकर उस पर विद्युत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:50:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

कनेक्शन नहीं ले सकता है, न ही अपनी कृषि भूमि को काबिल काश्त कर सकता हैं। इस प्रकार वादी को अनेकों प्रकार की कठिनाईया पैदा होती है। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि के बंटवारे हेतु दिनांक 24/06/2011 को कहा तो स्पष्ट ईन्कार हुए इतना ही नही वादी को प्रतिवादीगण ने यह भी ऐलानिया धमकी दी कि तुम्हारे हिस्से में तुम्हें तुम्हारे द्वारा रखे गये आदमी को काश्त नहीं करने देगें। तब वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह बाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाना का पेश किया है। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 1787/2 रकबा 2-09 बीघा है। जिसके पूर्व में बेरो पर जाने का आम रास्ता है तथा इस आम रास्ते पर आज से करीब दस वर्ष पूर्व वादी व प्रतिवादीगण को आने जाने के लिए एक फाटक भी लगा रखी है। जिससे आम रास्ते पर सभी खातेदार आते जाते है। परन्तु उक्त कृषि भूमि शामलाती होने से वादी को उस फाटक में से आने जाने में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 रोक-टोक करते है। इसके अतिरिक्त भी वादी को उसके हिस्से में आई भूमि के फन्टेज में से होकर दिनांक 24/06/2011 आने जाने में भी प्रतिवादी संख्या 1 व 3 रोक टोक व दखलन्दाजी की। उक्त गैरकानूनी कृत्य को रोके जाने हेतु भी वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक है। उक्त कृषि भूमि शामलाती होने से प्रतिवादी संख्या 1 अपनी मनमर्जी अनुसार बिना विधि पूर्वक बंटवाड़ा करवाये पक्का निर्माण करने पर भी आमदा है व उसने नींव खोदकर कृषि भूमि को अकृषि कार्य के रूप में काम ले रहा है। इसे रोके जाने हेतु भी यह बंटवाड़ा का वाद पेश किया है। वादी ने उक्त वाद बंटवाड़ा का पेश किया है इस कारण से प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 24/06/2011 को वादी ने प्रतिवादीगण को बंटवादा हेतु कहा तो स्पष्ट ईन्कार हुए तथा वादी को उसके हिस्से की भूमि में काश्त करने से भी व करवाने से भी मना करने व खसरा नम्बर 1787/2 के पूर्वी ओर स्थित आम रास्ते में भी आने जाने पर रोक टोक करने पर बमुकाम- खेड़ा देवगढ़ तहसील- जैतारण जिला- पाली में पैदा हुआ है, जो श्रीमान् के अधिकार क्षेत्र में है। माफिक दावा वादीगण का वाद ठिक्री किया जाकर वादीगण की भूमि कायनों में बाई मिटा एण्ड बाउण्ट्स बंटवादा किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 2 व 4 ने ईकबालिया जबाबदावा दिनांक 15/12/1[illegible] प्रति संख्या 1 व 3 बगदाराम व दुर्गाराम की ओर से जवाबदावा [illegible] को पेश किया, सा0मि0 दिनांक 14/10/2014 को तनकिवात [illegible] की गई।

पत्रावली आज दिनांक 05/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर- निमाज पर मुकर्रर होकर पेश हुई। बहस वकुलाय उभय पक्षों की सुनी गई। प्रस्तुत वादी द्वारा वाद पत्र मय शपथ- पत्र राजस्व रेकर्ड एवं नजरी नक्शा आदि का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर गहनतापूर्वक मनन किया। बहस वकुलाय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:50:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

पर भी गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नम्बरान् 1790/2 रकबा 09-03 बीघा एवं 1782/1, 1783/2/4, 1787/2 एवं 1792/1 कुल खसरा-4 कुल रकबा 14-02 बीघा किरम चा0सो0 भूमि के संयुक्त रूप से अपने-अपने हिस्से के सहखातेदार के रूप में दर्ज हैं। जिससे वादी एवं प्रतिवादी का मौके पर कब्जे काश्त रास्ते की भूमि एवं निर्माण अनुसार नापचौंप करके बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा प्राथमिक रूप से वाद डिक्री करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा- खेड़ा देवगढ़, पटवार हल्का- निमाज- चक- द्वितीय, तहसील- जैतारण में स्थित खसरा नम्बरान् 1790/2 रकबा 9-03 बीघा एवं 1782/1, 1783/2/4, 1787/2 एवं 1792/1 कुल खसरा-4 कुल रकबा 14-02 बीघा किरम चा0सो0 की भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/1004 दिनांक 02/12/2019 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2020/2211 दिनांक 15/07/2020 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की इस्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की [illegible] सरहद मौजा- खेड़ा देवगढ़, पटवार हल्का- निमाज- चक- द्वितीय, तह[illegible]- [illegible]रण में स्थित खसरा नम्बरान् 1790/2 रकबा 9-03 बीघा एवं 1782/1, 1783/2/4, 1787/2 एवं 1792/1 कुल खसरा-4 कुल रकबा 14-02 बीघा किरम चा0सो0 की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:50:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

खाते की वर्तमान स्थिति						खाते की विभाजन उपरान्त स्थिति					
क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान	क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान
1.	बगदाराम, जीयाराम, दुर्गारामपि. धन्ना झमकुड़ी बेवा धन्ना	1787/2	02-09	चाही सोयम		1.	बगदाराम पुत्र धन्नाराम	1787/2	00-16	चाही सोयम	2-00
						2.	जीयाराम पुत्र धन्नाराम	1787/5	00-16	चाही सोयम	2-00
						3.	दुर्गाराम पुत्र धन्नाराम	1787/6	00-16	चाही सोयम	2-00
						4.	बगदाराम, जीयाराम, दुर्गाराम पुत्र धन्नाराम	1787/7	00-01	चाही सोयम	0-12
2	बगदाराम पुत्र धन्नाराम, सुशीला पत्नी जीयाराम कुल हिस्सा 1/4, जीयाराम, दुर्गाराम पिता धन्नाराम, झमकुड़ी बेवा धन्नाराम हिस्सा 3/4 कौम सीरवी	1790/2	09-03	चाही सोयम		5.	बगदाराम पुत्र धन्नाराम	1790/2	01-01	चाही सोयम	2-62
						6.	सुशिला पत्नी जीयाराम	1790/13	02-00	चाही सोयम	5-00
							जीयाराम पुत्र धन्नाराम	1790/14	3-01	चाही सोयम	7-62
							दुर्गाराम पुत्र धन्नाराम	1790/15	3-01	चाही सोयम	7-64

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। खसरा संख्या 1782/1, 1783/2/4, 1792/1 का मौके पर तरमीम नही होने पर रेकर्ड एवं मौके की भिन्नता के कारण बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा नही किया गया। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 20/04/2022 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:50:10 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. जीयाराम पुत्र धनाराम जाति– सीरवी, निवासी– खेड़ादेवगढ़ बेरा निम्बड़िया, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, (राज0)

1. बगदारारम पुत्र धनाराम
2. सुशीला पत्नि जीयाराम
3. दुर्गाराम पुत्र धनाराम
4. झुमकुड़ी बेवा धनाराम जातियान– सीरवीख निवासी– खेड़ादेवगढ़ बेरा निम्बड़िया, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राज0)
5. तहसील जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 135/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई, श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा खेड़ा देवगढ, पटवार हल्का निमाज, तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित खसरा नम्बरान् 1790/2 रकबा 9–03 बीघा एवं 1782/1, 1783/2/4, 1787/2 एवं 1792/1 कुल खसरा–4 कुल रकबा 14–02 बीघा किरम चा0सो0 की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

खाते की वर्तमान स्थिति						खाते की विभाजन उपरान्त स्थिति					
क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान	क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान
1.	बगदाराम, जीयाराम, दुर्गारामपि. धन्ना झमकुड़ी बेवा धन्ना	1787/2	02-09	चाही सोयम		1.	बगदाराम पुत्र धन्नाराम	1787/2	00-16	चाही सोयम	2-00
						2.	जीयाराम पुत्र धन्नाराम	1787/5	00-16	चाही सोयम	2-00
						3.	दुर्गाराम पुत्र धन्नाराम	1787/6	00-16	चाही सोयम	2-00
						4.	बगदाराम, जीयाराम, दुर्गाराम पुत्र धन्नाराम	1787/7	00-01	चाही सोयम	0-12
2	बगदाराम पुत्र धन्नाराम, सुशीला पत्नी जीयाराम कुल हिस्सा 1/4, जीयाराम, दुर्गाराम पिता धन्नाराम, झमकुड़ी बेवा धन्नाराम हिस्सा 3/4 कौम सीरवी	1790/2	09-03	चाही सोयम		5.	बगदाराम पुत्र धन्नाराम	1790/2	06-01	चाही सोयम	2-62
						6.	सुशीला पत्नी जीयाराम	1790/13	02-00	चाही सोयम	5-00
							जीयाराम पुत्र धन्नाराम	1790/14	3-01	चाही सोयम	7-62
							दुर्गाराम पुत्र धन्नाराम	1790/15	3-01	चाही सोयम	7-64

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:50:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला पाली

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। खसरा संख्या 1782/1, 1783/2/4, 1792/1 का मौके पर तरमीम नही होने पर रेकर्ड एवं मौके की भिन्नता के कारण बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा नही किया गया। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 20/04/2022 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

पदेन सहायक कलक्टर
जैतारण जिला-पाली

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00	स्टाम्प वकालतनामा	04-00
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	03-00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः-	07-00	मिजानः-	04-00

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:50:10 IST
Reason: SelfAttested